

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला प्र०नि० ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :- प्रधान आरक्षी केन्द्र, प्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :- 2022
प्र०सू०रि० सं 19/22 दिनांक 22/1/2022
2. (1) अधिनियम... प्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018...धाराएं 7
(2) अधिनियम...धाराएं
(3) अधिनियम...धाराएं
(4) अन्य अधिनियम एवं...धाराएं
3. (क) घटना का दिन :- शुकवार दिनांक :- 21.01.2022 समय : 04.00 पीएम
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- 17.01.2022 समय : 10.30 एएम
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 536 समय 6:00 PM
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई- (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :-
(क) थाने से दिशा एवं दूरी - चौकी से दक्षिण-पश्चिम दिशा बफासला करीब 110 किमी
बीट संख्या...जुरामदेही सं.
(ख) पता:- कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम... जिला ...
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- श्री कृष्णलाल
(ख) पिता/पति का नाम :- श्री देवीलाल
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- 34 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता - भारतीय
(ङ) पासपोर्ट संख्या...जारी करने की तिथि...जारी करने का स्थान...
(च) व्यवसाय:-
(छ) पता :- निवासी गांव 2 एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
1. बृजलाल पुत्र श्री खीयाराम उम्र 44 साल निवासी गांव जानकीदासवाला (चक 11 एसडी) तहसील सूरतगढ
हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति की विशिष्टता(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
परिवादी श्री कृष्णलाल द्वारा ग्राम पंचायत 2 एसडी(संगीता)में भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० का कार्य बतौर मेट पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर परिवादी द्वारा श्रमिकों के मस्ट्रोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल०डी०सी० को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिकों का माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भुगतान खातो में आ चुका है। अब श्री बृजलाल एल०डी०सी० नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले परिवादी से पिछले पंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेटे 6,000-7,000/रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था एव परिवादी पर लोगों की फर्जी हाजरी लगाकर रुपये ऐठने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर परिवादी की रिपोर्ट पर ब्यूरो द्वारा दिनांक 18.01.22 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से आरोपी बृजलाल एलडीसी द्वारा 6500/रुपये रिश्वत के लेना तय करते हुये 1500/रुपये वक्त सत्यापन परिवादी से प्राप्त कर लिये तथा शेष 5000/रुपये बाद में लेना तय किया। उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 21.01.2022 को कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी(संगीता) में परिवादी कृष्णलाल से आरोपी बृजलाल एलडीसी द्वारा रिश्वत राशि 5,000/रुपये लेने पर रंगे हाथों गिरफ्तार करना आदि आरोप है।
10. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति का कुल मूल्य :- 5,000/रु.
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

38

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :-

सेवानें,

श्रीमान अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषय :- भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति कुम्हार उम्र 34 साल निवासी गांव चक 2 एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम पंचायत चक 2 एसडी (संगीता) है। मैं हमारी ग्राम पंचायत में करीब 8-10 वर्षों से मनरेगा योजना में मेट का कार्य करता हूँ। वर्तमान में हमारी ग्राम पंचायत में श्री बृजलाल एल०डी०सी० है, जो मनरेगा कार्य को देखता है। मेरे द्वारा भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० का कार्य बतौर मेट पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर मेरे द्वारा श्रमिकों के मस्ट्रोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल०डी०सी० को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिकों का माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भुगतान खातो में आ चुका है। अब श्री बृजलाल एल०डी०सी० नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले मेरे से पिछले पंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेटे 6,000-7,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे पर लोगो की फर्जी हाजरी लगाकर रूपये ऐठने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे द्वारा 6,000-7,000/रूपये रिश्वत के नही देने पर बृजलाल एल०डी०सी० द्वारा मुझे नये कार्य का बतौर मेट मस्ट्रोल जारी कर नही दे रहा है। मैं श्री बृजलाल एल०डी०सी० को रिश्वत सही देना चाहता, उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री बृजलाल एल०डी०सी० से कोई रंजिश नही है, ना ही कोई उधार का लेन देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। प्राथी एसडी कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल निवासी गांव चक 2 एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर मो.न. 96642-07674 दिनांक :- 17.01.2022

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :- 17.01.2022

समय :- 10.30 एएम

स्थान:- ब्यूरो कार्यालय,
श्रीगंगानगर-प्रथम

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति कुम्हार उम्र 34 साल निवासी गांव चक 2 एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रिन्ब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना एवं प्रार्थना पत्र जानकार से कम्प्यूटर टाईप करवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजिद दरियापत पर बताया कि वह करीब 8-10 वर्षों से मनरेगा योजना में मेट का कार्य करता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत चक 2 एसडी (संगीता) में श्री बृजलाल एल०डी०सी० है, जो मनरेगा कार्य देखता है, मेरे द्वारा बतौर मेट भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस०एल०डी० का कार्य पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर मेरे द्वारा श्रमिकों के मस्ट्रोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल०डी०सी० को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिकों का माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भुगतान खातो में आ चुका है। श्री बृजलाल एल०डी०सी० नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले मेरे से पिछले पंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेटे 6,000-7,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे पर लोगो की फर्जी हाजरी लगाकर रूपये ऐठने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरे द्वारा बृजलाल एल०डी०सी० को 6,000-7,000/रूपये रिश्वत के नही देने पर वह मुझे नये कार्य का बतौर मेट मस्ट्रोल जारी कर नही दे रहा है। मैं श्री बृजलाल एल०डी०सी० को रिश्वत नही देना चाहता, उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियापत से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी कृष्णलाल को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि मैं कल आरोपी से रिश्वत के सम्बंध में बातचीत कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री आशीष कुमार कानि० से परिचय करवाया गया एवं दोनों के एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 18.01.2022 वक्त 8.30 एएम पर श्री आशीष कुमार कानि० को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश देकर सत्यापन करवाने हेतु बजानिब ग्राम पंचायत संगीता तहसील सूरतगढ की ओर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी मुर्तिब की जाकर शामिल कागजात की गई। तत्पश्चात दिनांक 20.01.2022 वक्त 6.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस राज कार्य से बाहर गया हुआ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर श्री आशीष कुमार कानि० ने बताया कि दिनांक 18.01.22 को मैं परिवादी से तय अनुसार सूरतगढ से अनूपगढ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित गांव कर्मली की ढाणी के पास मिला था, जहां परिवादी से आरोपी बृजलाल वक्त करीब 12-12.15 बजे दोपहर में आकर



परिवादी से मिला था। परिवादी ने आरोपी से अपने कार्य के सम्बंध में बातचीत की तथा परिवादी द्वारा बतौर मेट करवाये गये पिछले मस्टरोल के 6500/रुपये रिश्वत के देना तय करते हुये 1500/रुपये वक्त सत्यापन आरोपी को दे दिये तथा शेष 5000/रुपये कल परसो देने की बात की थी। उक्त वार्ता परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। बाद सत्यापन परिवादी ने उक्त वार्ता का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेरे सुपुर्द कर दिया था। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर वही छोड़ दिया एवं मै रवाना होकर उसी दिन शाम को ब्यूरो कार्यालय पहुंचा एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित मालखाना में रख दिया था। जिस पर श्री आशीष कुमार कानि० से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मालखाना से निकलवाकर सुना गया तो उक्त रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। दिनांक 21.01.2022 वक्त 8.00 एएम पर तयनुसार परिवादी श्री कृष्णलाल ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया एवं बताया कि दिनांक 18.01.22 को श्री आशीष कुमार कानि० मुझे तय अनुसार सूरतगढ से अनूपगढ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित गांव कर्मली की ढाणी के पास मिला था, जहां आशीष कुमार कानि. ने मुझे टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया था और वह गोपनीय स्थान पर रुक गया। फिर उसी स्थान पर आरोपी बृजलाल वक्त करीब 12-12.15 बजे दोपहर में आकर मेरे से मिला था। जिस पर मैने बृजलाल एलडीसी से अपने कार्य के सम्बंध में बातचीत की तथा मेरे द्वारा बतौर मेट करवाये गये पिछले मस्टरोल के 6500/रुपये रिश्वत के देना तय करते हुये 1500/रुपये वक्त सत्यापन बृजलाल एलडीसी को दे दिये तथा शेष 5000/रुपये कल परसो देने की बात की थी। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। फिर यह रिकॉर्ड वार्ता वाला डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री आशीष कुमार कानि० को दे दिया एवं मै वही से अपने गांव चला गया था। उक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता से रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि मै आरोपी को आज ही रिश्वत राशि दूंगा, रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/रुपये अपने साथ लेकर आया हूँ। वक्त 10.00 एएम पर अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर को जरिये दूरभाष दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को भिजवाने हेतु निवेदन किये जाने पर गवाह श्री गोरुराम वरिष्ठ सहायक एवं श्री विकास कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। दोनों कर्मचारियों को तलबी का कारण बताकर उनसे कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति दी। जिस पर परिवादी कृष्णलाल से दोनों गवाहान को आपसी परिवय करवाया गया एवं परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 10.30 एएम पर परिवादी श्री कृष्णलाल ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500/-रुपये के 10 नोट कुल 5,000/-रुपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। प्रस्तुत नोटों के विवरण निम्नानुसार है:-

1.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625501
2.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625502
3.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625503
4.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625504
5.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625505
6.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625506
7.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625507
8.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625508
9.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	2CB 625509
10.	एक नोट पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा न.	3GR 064968

तत्पश्चात श्री लीलाधर मु०आ० से फिनाँपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त प्रस्तुत 5,000/-रुपये के नोटों पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाते हुये फिनाँपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटों पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री गोरुराम से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,000/रु के नोटों को श्री लीलाधर मु०आ० के जरिये परिवादी के पहनी बुशर्ट के उपरी बांयी साईड की जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को बतौर रिश्वत देवे व आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री लीलाधर

301


मु0आ0 के हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री लीलाधर मु0आ0 के हाथों, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियों व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासों को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्तत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्तत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री कृष्णलाल को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 11.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री कृष्णलाल, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री गोरुराम, श्री विकास व ब्यूरो स्टाफ मय लेपटोप-प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स सरकारी टवेरा गाड़ी व प्राईवेट कार से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु रवाना होकर गांव 2 एसडी(संगीता) तहसील सूरतगढ के नजदीक पहुंचा। जहां आरोपी के सम्बध में मालूमात करवाया गया तो ग्राम पंचायत बैठक में व्यस्त होना ज्ञात हुआ। जिस पर मय हमराहीयान के गांव संगीता से आगे निकलकर गोपनीय स्थान पर पहुंच मुकिम हुआ। वक्त 03.30 पीएम पर परिवादी कृष्णलाल द्वारा मालूमात कर बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक हो चुकी है, आरोपी ग्राम पंचायत भवन में बैठा है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान से रवाना होकर गांव 2 एसडी (संगीता) के ग्राम पंचायत भवन (संगीता ग्राम सेवा सहकारी समिति के भवन में संचालित) के नजदीक पहुंच वाहनो को रुकवाकर परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) की ओर रवाना करते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस सहित हमराही ट्रेप पार्टी सदस्यों ने उक्त कार्यालय के इर्द गिर्द मुकिम होकर मोर्चा लिया गया। वक्त 04.00 पीएम पर परिवादी कृष्णलाल ने कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) से बाहर निकलकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा दिया, जिस पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब परिवादी कृष्णलाल के पास पहुंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुये बताया कि आरोपी बृजलाल अपने कार्यालय में बैठा है, जिसने मेरे से मेरे द्वारा बतौर मेट करवाये भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 सम्बधी कार्य के मस्ट्रोल पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक के किये गये भुगतान की एवज में व नये कार्य के मस्ट्रोल में बतौर मेट लगाने की एवज में अभी-अभी मेरे से 5000/रूपये रिश्तत के लेकर अपने पहनी पेट की पिछे की बांयी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर परिवादी को साथ लेकर उसके बताये अनुसार कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी(संगीता)जो कि संगीता ग्राम सेवा सहकारी समिति के भवन में संचालित है, में पूर्व दिशा में खुलते कमरा में पहुंचा, जहां सामने कुर्सी पर बैठे नोजवान की तरफ परिवादी ने ईशारा कर उसे बृजलाल एलडीसी होना बताया एवं रिश्तत के सम्बध में अपने उक्त कथन पुनः किये। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बृजलाल पुत्र श्री खीयाराम उम्र 44 साल निवासी गांव जानकीदासवाला (चक 11 एसडी) तहसील सूरतगढ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी कृष्णलाल से सम्बधित कार्य एवं उससे ली गई रिश्तत राशि के सम्बध में पूछा तो उसने बताया कि साहब यह कृष्णलाल मस्ट्रोल नम्बर 12776 पंखवाड़ा दिनांक 01.10.21 से 15.10.21 तक व मस्ट्रोल नम्बर 13003 पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक मनरेगा के तहत भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 के कार्य पर मेट नियुक्त था। उक्त दोनो मस्ट्रोलस के भुगतान पंचायत समिति द्वारा सम्बधित श्रमिको को किये जा चुके है। मैंने इससे कोई रिश्तत नहीं मांगी थी, चार-पांच दिन पहले मैंने इसको पांच हजार रुपये उधार देने का कहा था, मैंने इससे पांच हजार रुपये उधार स्वरूप ही लिये है। फिर आरोपी बृजलाल से पूछा गया कि आपने दिनांक 18.01.2022 को भी इससे 1500/रूपये लिये थे वह किस बात के लिये थे, इस पर आरोपी ने कहा कि वो भी मैंने इससे उधार ही लिये थे। इसका मेरे पास कोई काम नहीं है। इस पर परिवादी कृष्णलाल ने स्वतः ही रुबरु गवाहान आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि साहब मेरे द्वारा मनरेगा के तहत भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 का कार्य बतौर मेट करवाया गया था, बृजलाल ने मेरे को कहा था कि तु फर्जी हाजरी लगाता है, यदि तु मेरे को पिछले मस्ट्रोल के 6,000-7,000/रूपये देगा तो मैं तुझे आगे नये कार्य के मस्ट्रोल पर मेट रख दूंगा, नहीं तो तेरे को पंचायत में कोई काम नहीं दूंगा। जिस पर मेरे द्वारा आपके कार्यालय में आरोपी के खिलाफ दी गई रिपोर्ट पर आप द्वारा दिनांक 18.01.22 को मेरे से रिश्तत मांग का सत्यापन करवाया था, जिस दौरान बृजलाल ने 6500/रूपये रिश्तत के लेना तय करके 1500/रूपये उसी दौरान ले लिये थे, आज बकाया रिश्तत राशि के रूप में 5000/रूपये रिश्तत के ही आरोपी बृजलाल को दिये है। इस पर आरोपी बृजलाल को पुनः पूछा गया तो वह चुप रहा। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी बृजलाल के मध्य रिश्तत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्तत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी बृजलाल के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी टवेरा गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासों को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी बृजलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं

Bx

अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी बृजलाल के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी बृजलाल से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब में होना बताया, जिस पर गवाह श्री विकास से आरोपी के पहनी पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 500-500/रुपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500-500/रु के दस नोट कुल 5,000/रु होना बताया। फिर गवाहों से इन बरामशुदा नोटों का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटों के नम्बरो से करवाने पर दोनों गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटों के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटों को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी की पहनी बरंग नेवी ब्ल्यू पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब धुलवाने के लिये एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी बृजलाल के पहनी पेन्ट को उतरवाते हुये व दूसरा लॉअर पहनने को दिया जाकर उतरवायी गई पेन्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'पी-1, पी-2' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब को सुखाकर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी बृजलाल से मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में करवाये जाने वाले कार्यों से सम्बंधित मस्टरोल रजिस्टर व परिवादी कृष्णलाल द्वारा बतौर मेट करवाये गये भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 से सम्बंधित मस्टरोल का पूछा तो आरोपी बृजलाल ने अपने कार्यालय में रखी लोहे की अलमारी में से निकालकर उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये। मस्टरोल रजिस्टर का अवलोकन करने पर अंतिम प्रविष्टि दिनांक 15.01.22 में किया होना पाया गया। जिस पर अंतिम प्रविष्टि के नीचे मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने व गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर वापिस आरोपी बृजलाल के जरिये अलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली जिस पर भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 लिखा हुआ है, जिसमें मस्ट्रोल नम्बर 12776 पंखवाड़ा दिनांक 01.10.21 से 15.10.21 तक व मस्ट्रोल नम्बर 13003 पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक, कार्य से सम्बंधित तकनीकी स्वीकृति, वित्ति/प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख शामिल हैं, उक्त पत्रावली प्रकरण में वजह सबूत होने से साथ में ली गई। सामान्तर कार्यवाही कर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पर अलग से तहरीर किया गया। चूंकि घटनास्थल ग्रामीण क्षेत्र में है तथा बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र होने से किसी भी समय कार्यवाही में बाधा आ सकती है, ऐसी परिस्थितियों के तहत आगे की कार्यवाही मौका पर किया जाना सम्भव नहीं होने से मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान, परिवादी, आरोपी व ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर रवाना होकर पुलिस थाना सदर सूरतगढ पहुंच आरोपी बृजलाल द्वारा प्रस्तुत भूमि विकास मय समतलीकरण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 के कार्य की मूल पत्रावली जरिये फर्द जब्त की जाकर फर्द जब्ती अभिलेख मुर्तिब की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी व सह परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। तत्पश्चात आरोपी बृजलाल कनिष्ठ सहायक को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी कृष्णलाल को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी बृजलाल, दोनों गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा साल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर पहुंचा। जहां पर आरोपी बृजलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात मौका से मय हमराहीयान के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 5,000/रु रिश्वत राशि, शील्ड शुदा पेन्ट, दो शील्डशुदा सीडी, जब्तशुदा अभिलेख आदि श्री लीलाधर मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनों गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। आरोपी बृजलाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर की हवालात में जमा करवाया गया।


(32)

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि कृष्णलाल पुत्र श्री देवीलाल निवासी गांव चक 2 एसडी (संगीता) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) में भूमि विकास मय समतलीकरण राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 3 एस0एल0डी0 का कार्य बतौर मेट पंखवाड़ा दिनांक 15.10.21 से 31.10.21 तक करवाया गया था, जो पूर्ण होने पर परिवारी द्वारा श्रमिकों के मस्ट्रोल को भुगतान हेतु श्री बृजलाल एल0डी0सी0 को जमा करवा दिया था। जिस पर श्रमिकों का माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 में भुगतान खातों में आ चुका है। अब श्री बृजलाल एल0डी0सी0 नये काम का मस्ट्रोल जारी करने से पहले परिवारी से पिछले पंखवाड़े (मस्ट्रोल) के पेटे 6,000-7,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था एवं परिवारी पर लोगों की फर्जी हाजरी लगाकर रूपये ऐठने का आरोप लगाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर परिवारी की रिपोर्ट पर ब्यूरो द्वारा दिनांक 18.01.22 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवारी से आरोपी बृजलाल एल0डी0सी0 द्वारा 6500/रूपये रिश्वत के लेना तय करते हुये 1500/रूपये वक्त सत्यापन परिवारी से प्राप्त कर लिये तथा शेष 5000/रूपये बाद में लेना तय किया। उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 21.01.2022 को कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) में परिवारी कृष्णलाल से आरोपी बृजलाल एल0डी0सी0 द्वारा रिश्वत राशि 5,000/रूपये प्राप्त कर अपने पहनी पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब में रखना, जहाँ से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी बृजलाल के हाथों एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना, वक्त ट्रेप परिवारी द्वारा बतौर मेट करवाये गये कार्य से सम्बंधित पत्रावली आरोपी से बरामद होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी बृजलाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवारी बृजलाल से 5,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का घटित होना पाये जाने पर आरोपी बृजलाल पुत्र श्री खीयाराम जाति मेघवाल उम्र 44 साल निवासी गांव जानकीदासवाला (चक 11 एसडी) तहसील सूरतगढ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत 2 एसडी (संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।


(भुपेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
श्रीगंगानगर-प्रथम

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत जुर्म 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री बृजलाल, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत 2 एसडी(संगीता) पंचायत समिति सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 19/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 160-64 दिनांक 22.1.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।